

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

नंद सिंह

बनाम

सदीप सिंह

प्रार्थना पत्र

नं०

७७

सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
जारी हुए

10/01/2023 को प्रतिवादी सं. 04 व 05 के नोटिस प्रोसेस पेश किए। प्रतिवादी सं. 04 व 05 के पुराने पत्र पर ही नोटिस प्रोसेस भरकर पेश किए। वकील वादी की लगातार एक वर्ष 4 माह तक नोटिस प्रोसेस नये पत्र पर भरकर पेश करने के अवसर दिए गये किन्तु वकील वादी द्वारा आज दिनांक तक भी नोटिस प्रोसेस भरकर पेश नहीं किए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि वकील वादी की वाद-पत्र चलाने में किसी प्रकार की खिचड़ी नहीं है। ना ही वाद में जल्दी कार्यवाही करने की खिचड़ी है। वकील वादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी नोटिस प्रोसेस प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वकील द्वारा न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से खर्च किया गया है। अतः वाद-पत्र को (O) 9 (R) 5 CPC के तहत नोटिस प्रोसेस के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरल नुमांर होकर नम्बर से कम होकर शां० दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

203 कोर्ट की
कोर्ट अर्थात् से

व सब जेल
नेसे

R(2023)मे

R(2023)

सन् 2023

उपस्थित।

के नोटिस

पेश करने